अति आवश्यक/कोरोना वायरस (nCOVID-19)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:आईडीएसपी/कोरोना वायरस/2020/34 दिनांक: 16.03.2020

समस्त सयुंक्त निदेशक, जोन–राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

निर्देशानुसार लेख है कि देश एंव प्रदेश में कोरोना वायरस (nCOVID-19) के प्रकोप के कारण इस रोग की रोकथाम एंव नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार इन्फेक्शन प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल, कन्टेनमेंट प्लॉन तथा डिसइन्फेक्शन पॉलिसी आदि के अनुसार मेडिकल कॉलेज स्तर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई SOP (Standard Operating Procedures for Rapid Response Teams for Prevention and Control of nCOVID 19 suspect and Confirmed Cases) के अनुसार रेपिड रेस्पोन्स टीमों द्वारा तत्वरित कार्यवाही करवाई जावें।

इसके साथ ही समस्त सयुंक्त निदेशक, जोन–राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों में कोरोना वायरस (nCOVID-19) रोग के नियंत्रणं एंव रोकथाम हेतु Active and Passive surveyallance तुरन्त करवाया जावें। मुख्य रूप से मन्दिरों, मस्जीदों, गुरूद्वारा, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन एंव अन्य सार्वजनिक स्थलों पर Disinfection करवाया जाकर कर सूचना सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (OIC) एवं विभाग की मेल आईडी SSU Rajasthan rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर तुरन्त भिजवायें। इस सम्बधं में राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर वांछित सूचना तुरन्त उपलब्ध करवाई जावें। इसके साथ ही सभी अस्पातलों में उक्त हेतु पृथक से आईसोलेशन वार्ड, आई.सी.यू. बेड, जीवनरक्षक उपकरण, पी.पी.ई., वीटीएम एंव दवाईयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करा कर अवगत करावें।

उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें, इसमें लापरवाही बरती जाने पर सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक:आईडीएसपी/कोरोना वायरस/2020/34 दिनांक: 16.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।